न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:–04 / 2019 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2019 / 00021

उनवान

1. रामेश्वर } पिसरान भोला
2. गोपाल
3. जगदीश
4. नन्दकिशोर } पिसरान रामजीलाल
5. बोबीलाल
6. मायादेवी पत्नी रामजीलाल

} जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम अधन्नपुर तहसील व जिला धौलपुर।

........................प्रतिवादी / अपीलांट।

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश } पुत्रगण बाबूलाल जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम अधन्नपुर तह0 व जिला धौलपुर।
2. अनिल कुमार
3. मुकेशचन्द

.... वादी / रेस्पोंडेंट।

4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मनिया तामील जरिये शाखा प्रबन्धक।

.... प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 08.02.2019 उनवानी चन्द्रप्रकाश बनाम रामेश्वर प्र0स0 28 / 17

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री पंकज उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–25.03.2022

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 08.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी / रैस्पो0 ने एक

आवेदन अधीन धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वादीगण/रैस्पो0 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 227 रकवा 18 विस्वा, 228 रकवा 02 विस्वा पर काश्त के लिये आने–जाने के लिये प्रतिवादी/अपीलाण्ट की आराजी खसरा नम्बर 229 रकवा 03 विस्वा ग्राम अधन्नपुर में से रास्ता कायम करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया। जिससे असन्तुष्ट होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् उभयपक्ष ने दिनांक 21.12.2021 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया, जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष राजीनामा पर सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं रैस्पो0 ने मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर पदेन राजस्व अपील अधिकारी कैम्प–धौलपुर ★ भरतपुर ★

4. हमने पत्रावली एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अध्ययन किया। पक्षकारान ने राजीनामा इस आशय का पेश किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से रैस्पो0 को उनकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 227, 228 में आने–जाने हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 229 वाके ग्राम अधन्नपुर तहसील धौलपुर में से संलग्न नक्शा अनुसार अ,ब,स,द से चिन्हित भू–भाग 15 X 37.6 फुट पर रास्ता, डीएलसी मूल्य से दुगुनी कीमत पर दिया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। परन्तु वर्तमान में हम पक्षकारान में राजीनामा हो गया है एवं हम अपीलाण्ट, रैस्पो0 को उनके खसरा नम्बर 227, 228 पर आने–जाने हेतु अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 229 में से 15 X 37.6 फुट रास्ते के बजाय 10 X 37.6 फुट का रास्ता बिना कोई पैसे लिये रैस्पो0 को दिये जाने हेतु सहमत हैं। अतः राजीनामा के संलग्न लाल रंग से प्रदर्शित व अक्षर अ,ब,स,द से चिन्हित भूमि को राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में निजी रास्ता के रूप में अंकन किया जावें एवं पृथक से नम्बर कायम किया जाकर राजस्व नक्शा में तदनुसार तरमीम किये जाने का निवेदन किया।

5. चूंकि प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः प्रकरण में अब पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं रह जाता है। लिहाजा हम मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.02.2019 अपास्त किये

जाकर, मुताबिक राजीनामा रैस्पो0 को उनके खसरा नम्बर 227, 228 पर आने–जाने हेतु, अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 229 में से 15 X 37.6 फुट रास्ते के बजाय 10 X 37.6 फुट का रास्ता निशुल्क दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

7. पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय, राजीनामा एवं राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति के साथ वापस भेजा जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25-03-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

अधिकारी पदेन ... कैम्प–धौलपुर ★ भरतपुर ★